†[DEMAND OF CHIEF EXECUTIVE COUNCILLOR OF DELHI FOR ENDING DISPARITY IN INCOMES

*338 SHRI MAN SINGH VARMA
SHRI LAL K ADVANI
SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI
SHRI N K SHEJWALKAR

Will the Minister of FINANCE/वित्त मंत्री be pleasedt to state

(a) whether the Chief Executive Councillor of Delhi has cently demanded that with a view to curbing economic disparity no person should be allowed to spend more than Rs 1500 per month and the balance of the income of those getting higher salary should be deposited with the various Savings Schemes of Government, and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto and what are the details of the plan, if any, in this regard ?]

वित्त मंत्री (श्री य० ब० चव्हाण) (क) सरकार ने समाचार-पत्रो मे प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसके अनुसार दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने 25 मार्च 1971 को पत्रकारो को सम्बोधित करते हुए यह सुझाव दिया था।

(ख) यद्यपि सरकार ने आर्थिक विषमता को समाप्त करने के उद्देश्य का स्वीकार किया है, पर किसी अनिवार्य बचत योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। इसके बजाय सरकार ने इस उद्देश्य का 1971-72 के बजट मे किये गये विभिन्न कर-प्रस्तावो के माध्यम से विशेषकर व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति पर और अपेक्षाकृत कम अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुओ पर कर लगाकर पूरा करने का प्रयास किया है।

†[THE MINISTER OF FINANCE/वित्त मंत्री (SHRI Y B CHAVAN) (a) The Govt have seen the press reports of the suggestion made by the Chief Executive Councillor of Delhi while addressing the journalists on 25th March, 1971

(b) While Government have accepted the objective of curbing economic disparity, no proposal for the introduction of a compulsory saving scheme is under consideration Instead, Government have sought to achieve the objective through the various tax proposals made in the Budget for 1971-72 particularly in regard to taxation on personal incomes and wealth and the taxation on less essential items of consumption]

†[ ] English translation

DEVELOPMENT OF BEYPORE PORT

*339 SHRI B V ABDULLA KOYA Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT/संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री be pleased to refer to the reply to Starred Question No 372 given in the Rajya Sabha on the 11th March, 1970 and state

(a) whether any fresh proposals have since been received from the State Government of Kerala for the development of Beypore Port, and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT/संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (SHRI RAJ BAHADUR) (a) The Government of Kerala have recently informed the Government of India that the matter is still under their examination

(b) Does not arise

बैंको के राष्ट्रीयकरण के संबध में बैंक कर्मचारियो के विचार

*340 श्री देवदत्त कुमार कीकभाई पटेल
डा० भाई महावीर

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के सम्मेलन मे स्वीकृत उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमे कहा गया है कि सरकार ने बैंको के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम नही उठाये है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†[OBSERVATIONS OF BANK EMPLOYEES REGARDING NATIONALISATION OF BANKS

*340 SHRI DEVDATT KUMAR KIKABHAI PATEL :
DR. BHAI MAHAVIR :

Will the Minister of FINANCE/वित्त मंत्री be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolution adopted at the Conference of the All India Bank Employees Association in which it has been observed that Government have not taken the necessary steps to make the nationalisation of banks a success, and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard ?]

वित्त मंत्री (श्री य० ब० चव्हाण) (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अप्रैल 1971 मे हुए सम्मेलन मे बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध मे कुछ प्रस्ताव पास किये हैं । उन प्रस्तावों की प्रतिलिपियां उन्होंने सरकार को भेजी थी । उन प्रस्तावों मे जिन महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र किया गया था उनमे से कुछ ये है छोटे किसानों और उपेक्षित क्षेत्रों अन्य वर्गो को ऋण सुविधा देना, सट्टेबाजी एव अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाना, राज्य के छोटे-छोटे बैंकों को एक राज्यीय बैंक मे मिला देना, विदेशी बैंकों सहित शेष सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंक के नीतिनिर्माता निकायों मे सभी स्तरों पर बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व देना, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया आदि बैंकों के निदेशक बोर्डों का पुनर्गठन ।

जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है हमने अपने सामने दो मूल उद्देश्य रखे है : बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देना । इस दिशा मे पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नीतियां इन उद्देश्यों को उपलब्ध करने के लिये फिर से निर्धारित की जा रही हैं । बड़े-बड़े ऋण खातों की छानबीन अधिक ध्यान मे की जा रही है ताकि बैंक ऋण का इस्तेमाल सट्टेबाजी तथा अन्य अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये न किया जाय । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों के साथ अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह मे हुई मेरी बैठक मे बैंकों की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बद्ध अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तारपूर्वक बातचीत की गयी थी और बैंक उन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे है ।

†[THE MINISTER OF FINANCE/वित्त मंत्री (SHRI Y B CHAVAN) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House

STATEMENT

In a Conference held in April, 1971, the All-India Bank Employees Association passed some resolutions pertaining to the banking industry Copies of these resolutions were forwarded by them to the Government Some of the important matters referred to therein were extension of credit to small farmers and other categories of neglected sectors, curbing the supply of credit for speculative and unproductive purposes, merger of small and one—State Banks, nationalisation of all remaining banks including foreign banks giving representation to the employees on all policy-making bodies at all levels of banks of constitution of the Boards of Directors of the Reserve Bank of India, State Bank of India, etc

Since the nationalisation of the banks, we have placed before ourselves the two basic objectives of creation of large scale employment opportunities and extension of credit to hitherto neglected sectors Considerable progress has already been made in this direction and the policies of the public sector banks are being re-oriented to achieve these objectives Large borrowal accounts are also being scrutinised more carefully with a view to put down the use of bank credit for speculative and unproductive uses In my meeting with the Custodians of the public sector banks

†[ ] English translation.

held in the last week of April 1971, several important issues relating to the policies and programmes of the banks were discussed in depth and the bank are taking the necessary follow-up measures]

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के कर्मचारियो की पेंशन

*341 **श्री सूरज प्रसाद** क्या **वित्त मत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के कर्मचारियो का दी जाने वाली पेशन आज भी पुराने ब्रिटिश नियमो के आधार पर निर्धारित की जाती है , और

(ख) उसके क्या कारण हैं और इस सबध मे नये नियम कब तक बना दिये जायेगे ?

†[PENSIONS OF CENTRAL AND STATE GOVERNMENT EMPLOYEES

*341 SHRI SURAJ PRASAD Will the Minister of FINANCE/ **वित्त मत्री** be pleased to state

(a) whether it is a fact that pensions of Central and State Government employees are determined as per the old British rules even now, and

(b) what are the reasons therefor and the time by when new rules in this regard will be framed?]

वित्त मंत्रालय मे राज्य मत्री · (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) राज्य सरकारो के कर्मचारियो की पेशने, सबधित राज्य सरकारो के नियमा द्वारा शासित होती है और यह निर्णय करने का सबधित राज्य सरकारो को अधिकार है कि पुराने नियमा को कहा तक पूर्ववत रखा जाय अथवा उनमें सशाधन किया जाय अथवा उनके स्थान पर नये नियम लाये जायें । केन्द्रीय सरकार के असैनिक कमचारियो के मामले मे, पेशन केवल सिविल सेवा विनियमा म निहित उपबधो से ही नहीं, परन्तु समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न कार्यालय ज्ञापनो मे निहित आदेशो द्वारा भी विनियमित होती हैं । सिविल सेवा विनियमो मे पेंशन के सबध मे निहित उपबध सन् 1889 से लागू हैं, परन्तु समय-समय पर उनका सशोधन होता रहा है और उक्त उपबधा की यथावश्यक पूर्ति कार्यालय ज्ञापना म निहित ऐसे उपबधा के द्वारा होती रही है जिनसे पशन नियमो मे सुधार और उदारता लाई गयी है और ऐसा विशेषत प्रथम एव द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर किया गया है । वतमान पेशन नियमा मे कई नई बाते है जैसे मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान एव परिवार पेशन याजना, जा पुराने सिविल सेवा विनियमो मे नही थी । इसलिए यह नहीं कहा जा *सकता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो की पेशन* केवल स्वतत्रतापूर्व बनाये गये नियमा से ही विनियमित होती रही है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE/ **वित्त मत्रालय में राज्य मत्री** (SHRI K R GANESH) (a) and (b) Pensions of State Government employees are governed by the rules of the respective State Governments who are competent to decide how far the old rules should be retained, amended or replaced In the case of Civil Servants of the Central Government, pensions are regulated not only by the provisions contained in the Civil Service Regulations but also those contained in various Office Memoranda issued from time to time The provisions relating to pension in the CSRs which date back to 1889 have been amended from time to time and those provisions have been supplemented by the provisions contained in Office Memoranda improving and liberalising the pension rules, particularly on the basis of the recommendations of the First and Second Pay Commissions The present pension rules contain several new features, *e g*, death-*cum*-retirement gratuity and family pension scheme, which did not find a place in the old Civil Service Regulations It cannot thus be said that the pensions of Central Government employees continue to be determined only by the rules made before Independence]

†[ ] English translation